

1-9-22

वर्गीय वादी द्वारा प्र.पत्र आर्केव 23 नियम 1 CPC प्रकृत
 करने पर पतावली आठ पेचा दुयी) वर्गीय वादी उक्त दावे
 को अमान्य नहीं मानता है वर्गीय वादी का मान्य है कि
 पतावली के विशेष आवासीयता से वासाहतकरण की
 आवश्यकता है अतः दावा विपरीत करने की इजाजत
 नहीं है। प्र.पत्र वर्गीय वादी आर्केव 23 नियम 1 CPC
 कर्षणान्त नियम द्वारा है एवं दावा विपरीत करने की कर्षणान्त
 प्रकार की जाती है पतावली द्वारा काल पर प्रमाण सुमा
 टोकाट काट वर्गीय वादी के नाम है।

उपखण्ड अधिकारी
 करौली (राज०)

